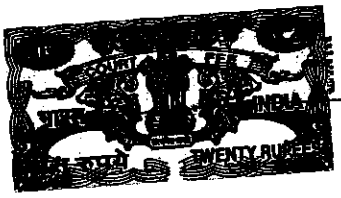

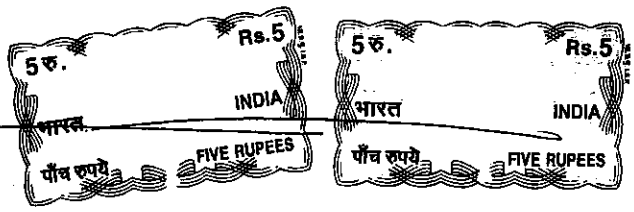

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(11)

सक्षम माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

नि॰ - 3746 - II/16

प्रकरण क्र. /16 निगरानी

(सुन्दरम श्रीवास्तव) (एडवोकेट) 27/10/16

निगरानीकर्ता - - - - - सावित्री पत्नी अश्विनी कुमार त्रिपाठी आयु-45 वर्ष व्यवसाय- गृहकार्य निवासी- पोस्ट ऑफिस के पास एन.एच. 78 कतली पुल के पास; चन्दिया रोड जिला उमरिया

दिनांक 27-10-16 को श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अधि० द्वारा प्रस्तुत। 27-10-16

विरूध्द

अनावेदकगण - - - - -

392 / 27-10-16

1. म.प्र.शासन द्वारा, नायब तहसीलदार तहसील चन्दिया जिला उमरिया म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्दिया जिला उमरिया म.प्र
3. शान्ति कचेर पत्नी वंशरूप निवासी- चन्दिया जिला उमरिया म.प्र.
4. वन्दना पत्नी नीरज निवासी-चन्दिया जिला उमरिया म.प्र.

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0 रा0संहिता-1959 विरूध्द नायब तहसीलदार चन्दिया वृत बिलासपुर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक-25/अ-12-25/16 (शान्ति कचेर बनाम म.प्र.शासन) मे पारित आदेश दिनांक-06-06-2016, तथा प्रकरण कमांक-24/अ-12-25/16 (वंदना त्रिपाठी बनाम म.प्र.शासन) मे पारित आदेश दिनांक-6-6-16

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3746–दो/16 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदिके हस्ताक्षर
4.11.16	उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी नायब तहसीलदार चन्दिया वृत्त बिलासपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 25/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.6.16 एवं प्रकरण कमांक 24/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.6.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर कर आवेदक की आपत्ति को निराधार मानकर निरस्त की है वह विधि प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सीमांकन करने से पहले सरहदी काश्तकारों को सूचना दी जाना आवश्यक है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 3– अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यह सरहदी काश्तकार हैं और यह सीमांकन में	

अपना हित रखते हैं, इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा आपत्ति खारिज की है जो विधिक प्रावधानों से उचित है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी अग्राह की जावे।

4– उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है इसके तारतम्य में उनके द्वारा धारा–48 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा आपत्ति खारिज होने पर ही प्रमुख रूप से बल दिया गया है। दस्तावेज का अवलोकन से स्पष्ट कि सीमांकन 5–5–16 को किया गया है जबकि प्रथम आपत्ति दिनांक 6.5.16 सीमांकन का उल्लेख किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा अपने सीमावर्ती भूमिधारकों को परेशान करने की नियत से आपत्ति लगाई जा रही हैं। आपत्ति में अंकित तीनों भूमिस्वामियों का सीमांकन उसके तथा अन्य सीमावर्ती भूमिधारकों के समक्ष विधिवत किया गया है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि श्रीमती सावित्री की ओर से उपस्थित श्री बी0 डी0 त्रिपाठी सीमांकन से सहमत है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार चन्दिया वृत्त बिलासपुर जिला उमरिया का प्रकरण कमांक 24/अ–12/2015–16 एवं 25/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.6.16 उचित

होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य